पत्र संख्या- स0द0-फार्म-38-व्यवस्था / 2012-13 / कम्प्यूटर परिपत्र नंबर- 1213024 / 513 /वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्यकर , उ0प्र0

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक:: 15, जून 2012

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0/
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 वाणिज्य कर, उ0प्र0/
ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर , उ0प्र0/
डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर /वाणिज्य कर अधिकारी ,
वाणिज्य कर , उ0प्र0 ।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या- 1810 दिनांक 24-02-2000 , 1880 दिनांक 24-02-2002 एवं 246 दिनांक 27-12-02 का संदर्भ लें , जिसके द्वारा व्यापारियों को कार्यालय से आयात घोषणा पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश प्रसारित किये गये थे । उक्त परिपत्रों के माध्यम से यह निर्देश दिये गये थे कि कतिपय अपवादों को छोड़कर व्यापारियों को उनकी मांग पर एक बार में उनकी तीन माह की आवश्यकता के लिए तथा राजकीय विभाग , सरकारी उपक्रम एवं एक करोड़ से अधिक पूँजी विनिवेश वाली कम्पनियों को एक वर्ष की अवधि के प्रयोग के लिये आयात घोषणा पत्र जारी किये जायें ।

2- कालान्तर में विभाग द्वारा दिनांक 28-8-09 से वेब साइट से भी फार्म 38 डाउनलोड करने की व्यवस्था लागू की गयी है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्यालय के परिपत्र संख्या-चेकपोस्ट अनुभाग-फार्म-38 व्यवस्था// 09-10/ 293 / वाणिज्य कर दिनांक 28--01-2010 , पत्र सं0-फार्म / सचलदल अनुभाग-फार्म-38 व्यवस्था/ 2011-12/ 1112014/26 / वाणिज्य कर दिनांक 04-05-2011 , पत्र सं0- विविध / फार्म-38 व्यवस्था/2011-12//103/1112050 / दि0 23-08-2011 , पत्र सं0-विविध/फार्म -38 व्यवस्था /2011-12/ 142/ 1112080 / वाणिज्य कर दिनांक 09-12-11 से जारी किये गये हैं । समीक्षा में पाया गया कि कार्यालय से फार्म 38 निर्गत किये जाने तथा विभागीय वेव साइट से फार्म 38 डाउनलोड करने की निर्धारित व्यवस्था में भिन्नता है ।

3- विभागीय वेब साइट से फार्म 38 डाउनलोड करने के संबंध में उपरोक्त परिपत्रों के माध्यम से निर्धारित व्यवस्था मुख्य रुप से निम्न प्रकार हैं :-

I. मुख्यालय के परिपत्र सं0-1213018 दिनांक 28-05-12 से चिन्हित 08 संवेदनशील वस्तुओं तथा पंजीयन की तिथि से एक वर्ष के अन्दर नये पंजीकृत व्यापारियों एवं उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-19(3) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसी चिन्हित वस्तुएॅं जिनके लिए नकद प्रतिभूति लेकर आयात घोषणा-पत्र जारी किये जाने हों , के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के करयोग्य माल के आयात हेतु एक दिन में अधिकतम 10 फार्म 38 डाउनलोड करने की व्यवस्था की गयी है ।

II. व्यापारी के पास अधिकतम 100 अप्रयुक्त फार्म रह सकते हैं । व्यापारी के स्टाक में उससे अधिक अप्रयुक्त फार्म होने पर उसे आगे फार्म 38 डाउनलोड करने की अनुमति तभी प्राप्त होगी जब वह कम से कम 60 प्रतिशत फार्मो के प्रयोग का विवरण दाखिल कर दें ।

III. कार्पोरेट सर्किल के व्यापारी तथा प्रदेश के ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर रु0 50 करोड़ से अधिक है , के लिए सीमित फार्म 38 निर्गत किये जाने के प्रस्तर I व II की शर्ते लागू नही होंगी ।

IV. ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर रु0 50 करोड़ से कम है किन्तु उसकी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर उन्हें उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतिदिन 10 से अधिक फार्म की आवश्यकता है । ऐसे व्यापारियों द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र का परीक्षण करके कर निर्धारण अधिकारी अपनी संस्तुति संभागीय ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को भेजेंगे ।

V. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) ऐसे प्राप्त मामलों को तथ्यों के आधार पर परीक्षण करते हुये व्यापारी को फार्म 38 के

न्यूनतम स्लैब से हटाकर उच्चतर स्लैब में डालने का निर्णय लेंगे । निम्न प्रकार से चार स्लैब की व्यवस्था निर्धारित की गयी है :-

a. प्रतिदिन 10 फार्म 38 की दर से अधिकतम 100 फार्म
b. प्रतिदिन 50 फार्म 38 की दर से अधिकतम 500फार्म
c. प्रतिदिन 500 फार्म 38 की दर से अधिकतम 5000 फार्म
d. असीमित डाउनलोड

4- उपरोक्तानुसार विभागीय वेब साइट से फार्म 38 डाउनलोड किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है । कार्यालय से फार्म 38 जारी किये जाने की व्यवस्था एवं उपरोक्तानुसार डाउनलोड किये जाने वाले फार्म 38 की व्यवस्था में एक रुपता बनाये जाने के उद्देश्य से कार्यालय से जारी किये जाने वाले फार्म 38 के संबंध में निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है :-

I. पंजीयन की तिथि से एक वर्ष के अंदर नये पंजीकृत व्यापारियों तथा उ0 प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 19(3) में निर्धारित व्यवस्था में उन वस्तुओं के लिए जिनसे नकद प्रतिभूति लेकर आयात घोषणा पत्र जारी किये जाते हैं अथवा वह वस्तुएँ जिन्हें पूर्व में परिपत्र सं0-1213018 दि0 28-05-12 से संवेदनशील घोषित किये गये हैं ,के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के करयोग्य माल के आयात हेतु आयात घोषणा-पत्र (फार्म 38) कार्यालय से व्यापारियों को उनकी मांग के अनुसार दिये जायें ।
II. प्रस्तर I मे वर्गीकृत व्यापारियों को उनकी मांग पर उनकी आवश्यकतानुसार अथवा एक बार में अधिकतम 100 (सौ) आयात घोषणा-पत्र जारी किये जायेंगे ।
III. व्यापारी के पास अधिकतम 100(सौ) अप्रयुक्त फार्म रह सकते हैं । व्यापारी की मांग पर अगली बार उसे तभी फार्म जारी किये जायें जब वह कम से कम 60 प्रतिशत फार्मो के उपयोग का विवरण दाखिल कर दे अर्थात किसी व्यापारी को 101 वॉं फार्म 38 तभी प्राप्त होगा जब वह पूर्व में प्राप्त किये गये फार्मो मे से कम से 60 फार्मो के उपयोग का विवरण दाखिल कर दे ।
IV. कारपोरेट्स सर्किल के व्यापारी तथा प्रदेश के ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर रु0 50 करोड़ से अधिक है, के सम्बन्ध में सीमित फार्म 38 निर्गत किये जाने के प्रस्तर I व II की शर्ते लागू नही होंगी । ऐसे व्यापारियों को फार्म 38 निर्गत किये जाने की संख्या पर कोई बंधन नही होगा ।
V. ऐसे व्यापारियों को जिनका वार्षिक टर्नओवर रु0 50 करोड़ से कम है किन्तु उनकी वास्तविक आवश्यकता अधिक फार्म 38 की है, के लिए निम्न व्यवस्था लागू होगी :-
    a. यदि व्यापारी रु0 50 करोड़ से कम के वार्षिक टर्नओवर होने के बावजूद अपनी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अधिक फार्म 38 की मांग करता है तो कर निर्धारण अधिकारी ऐसी मामलों का परीक्षण करते हुये अपनी संस्तुति संभाग के ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को भेजेंगे ।
    b. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) ऐसे प्राप्त मामलो के परीक्षणोपरान्त संस्तुति से सहमत होने की दशा में व्यापारी को निम्न स्लैब्स मे से किसी एक स्लैब में वर्गीकृत करते हुये समुचित आदेश कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित करेंगें :-
        i. एक बार में अधिकतम 500 फार्म 38
        ii. एक बार में अधिकतम 5000 फार्म 38
        iii. असीमित फार्म 38

व्यापारी उपरोक्त स्लैब (i) से (iii) में निर्धारित अधिकतम संख्या में फार्म 38 प्राप्त करने के पश्चात आगे के फार्म 38 तभी प्राप्त कर सकेगा जब वह पूर्व में प्राप्त फार्म 38 में से कम से कम 60 प्रतिशत फार्मो के उपयोग का विवरण प्रस्तुत कर देगा । ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) से किसी व्यापारी के बारे में उक्त अनुमति एक ही बार लेनी होगी तथा आगे व्यापारी को निर्धारित श्रेणी के अनुसार फार्म 38 दिये जाते रहेंगे ।

c. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को भेजते समय निम्न विवरण भी प्रेषित किये जायेंगे :-

1	फर्म का नाम
2	टिन नम्बर
3	पंजीयन की प्रभावी तिथि
4	वस्तु का नाम जिसमें व्यापार होता है।
5	विगत तीन माह की फार्म 38 की खपत
6	विगत एक वर्ष में दाखिल नक्शों में घोषित टर्नओवर
7	किस स्लैब में सुविधा की प्रार्थना की गयी है।
8	अधिकारी की संस्तुति

5- प्रस्तर 1 से लेकर 5 मे निर्धारित उपरोक्त व्यवस्था निम्न शर्तो के आधीन रहेंगी :-

i. फर्म कम से कम एक वर्ष पुरानी हो और उसके द्वारा कम से कम 12 माह के रुपपत्र 24 दाखिल कर दिये गये हों।

ii. उनके विरुद्ध करापवंचन अथवा फार्म 38 का दुरुपयोग करने की कोई सूचना न हो।

iii. यह व्यवस्था कमिश्नर , वाणिज्य कर , उ0 प्र0 द्वारा परिपत्र संख्या-1213018 दि0 28-05-12 से चिन्हित आठ संवेदनशील वस्तुएं (1) कोयला , (2) केन्द्रीय बिक्रीकरअधिनियम की धारा 14 में परिभाषित लोहा एवं इस्पात , (3) मेन्था आयल एवं मेन्थाल , (4) सुपाड़ी व कत्था , (5) पान मसाला / गुटखा , (6) पेपर (7) वनस्पति पाम आयल , रिफाइण्ड आयल , (8) पटिया पत्थर , बरदपुर , रोडी गिट्टी , मौरंग , बालू , रेता , खण्डा पत्थर (इमारती पत्थर को छोड़कर) , पर अनुमन्य नही होगी।

iv. अग्रिम कर जमा करके फार्म 38 प्राप्त करने वाले व्यापारियों के लिये भी यह व्यवस्था अनुमन्य नहीं होगी।

6- कार्यालय से व्यापारियों को निर्गत किये जाने वाले फार्म 38 के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी व्यापारी द्वारा आयात घोषणा-पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र पूर्वान्ह में दिया जाता है तो उसको उसी दिन अपरान्ह में आयात घोषणा-पत्र निर्गत कर दिया जाये और अपरान्ह में जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हो उसमें अगले कार्य दिवस में अपरान्ह में फार्म उपलब्ध करा दिये जायें। इसके साथ ही साथ खण्ड के वरिष्ठ सहायक के पास एक पंजी भी रखी जाएगी , जिसमें उनके द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों का दिनांक व समय सहित प्रविष्टि की जायेगी।

7- कार्य दिवस के अपरान्ह तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उसी दिन कर दिया जाये तथा यदि व्यापारी को आयात घोषणा-पत्र दिया जाना संभव नही है तो उसे कारणों से अवगत कराया जाये अन्यथा उसी कार्य दिवस में उसे प्रत्येक दशा में आयात घोषणा-पत्र उपलब्ध करा दिये जायें। इसी प्रकार अपरान्ह के बाद प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अगले कार्य दिवस में अपरान्ह तक अवश्य कर दिया जाये।

8- प्रत्येक जोन में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)के पास एक शिकायत पंजी रखी जायेगी जिसपर फार्म-38 (आयात घोषणा पत्र) का प्रार्थना पत्र दिये जाने के बाद अगले कार्य दिवस तक आयात घोषणा-पत्र प्राप्त नही होते हैं अथवा कारणों से अवगत नही कराया जाता है तो व्यापारी इससे सम्बन्धित शिकायत पंजी मे दर्ज करा सकते हैं। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)द्वारा प्रत्येक दिन प्राप्त शिकायतों का निस्तारण उसी दिन सायंकाल तक किया जाना अनिवार्य है। इस शिकायत पर सम्बन्धित अधिकारी तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। जोनल एडीशनल कमिश्नर पाक्षिक रुप से इस शिकायत पंजी का अनुश्रवण करेंगे।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर , वाणिज्य कर,
उ0प्र0 , लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव,संस्थागत वि , कर एवं निबन्धन अनुभाग,अनुभाग -2 उ0प्र0 शासन, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या-क0नि0-451/ ग्यारह -2-2011-9(207)/ 09 दिनांक 13-04-11 के संदर्भ में।
3. माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
4. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. अध्यक्ष / निबन्धक उ0प्र0 वाणिज्य कर , लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण वाणिज्य कर उ0प्र0
6. प्रबन्धक, इसेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ
7. महालेखाकार, 171-ए,अशोक नगर, इलाहाबाद।
8. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उ0 प्र0।
9. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ दए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
10. विकास आयुक्त,नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर-10, नोएडा।
11. अध्यक्ष, उ0प्र0 टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185 / 293, अमीनाबाद रोड,गणेश गंज, लखनऊ।
12. अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु,सी-15, मालएवेन्यू, लखनऊ।
13. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्यस्तरीय वाणिज्यकर सलाहकार समिति 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ।
14. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 , सिविल लाइन्स, कानपुर।
15. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एंड इण्ड0 4/180, विशाल खएड, पी0वी0-17,गोमती नगर, लखनऊ
16. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड,लखनऊ।
17. अवध चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इंड0,ऐशबाग, रोड, लखनऊ।
18. आल इडिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4 , साइट सं0-3, मेरठ रोड, इंण्डस्ट्रीयल एरिया,गाजियाबाद।
19. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इंड0एसोसिएशन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
20. राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) के माध्यम से।
21. उत्तर -प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इंजीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
22. शिव कुमार रोडा,एडवोकेट, महासचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0जमुना बिहार, एस0 एस0 कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।
23. श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस, आर0-15/5 राजनगर , गाजियाबाद।
24. श्रीमती इन्दु मिश्रा ,इन्दु पब्लिकेशनस , RDC-51 राजनगर , गाजियाबाद।
25. श्री मदनमोहन भारतीय , एडवोकेट सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन , 26/103, बिरहाना रोड,कानपुर
26. प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन, फकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
27. प्रो0श्रीमती रंजना कक्कड़, 15,टैगोर टाउन, इलाहाबाद।
28. श्री बी0 एन0 राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0 टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी , सिगरा, वाराणसी।
29. श्री अशोक धवन, सी के -24/1, कुँज गली, चौक, वाराणसी।
30. श्री उमंग अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी (FTTA) 77/3 ए एन0के0जैन मार्केट, कुली बाजार, कानपुर।
31. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उ0प्र0 उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर1
32. श्री ब्रित चावला, महासचिव(पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 ट्रक आपरेटर्स, फेंडरेशन (रजि0), पुलदाल मंडी , सहारनपुर
33. श्री आर0 डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
34. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उार प्रदेश , 19-सुरेशबाग, कानपुर।
35. इन्डियन इंड0एसो0 , 159/ए-8,15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।

36. संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एंड वेलफेयर फोरस एसो0 वेस्टर्न यू0पी0(रजि0) 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ।
37. टैक्सेशन बार एसोसिएशन कार्मिशयल टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस , आगरा।
38. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 50-बी,उद्योग नगर, कानपुर
39. श्री अनिल कुमार बंसल, दि0 यू0पी0 रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0-3 एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ।
40. श्री दिनेश अरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पटटी, कानपुर।
41. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेट व्यापार एसो0 565/566,राजेन्द्र नगर ,लखनऊ।
42. श्री अरुण कुमारअवस्थी, प्रान्तीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ
43. श्री गोपाल अग्रवाल ,राष्ट्रीय महामंत्री आल इंडिया उद्योग व्यापाारप्रतिनिधि मंडल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ।
44. श्री दिनेश चन्द्र, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0रोड,अमीनाबाद, लखनऊ।
45. अध्यक्ष, आई0आई0ए0 इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खंड,फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ।
46. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ।
47. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मंडल उपाध्यक्ष , अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) मंडल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस।
48. समस्त अनुभाग / अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय-लखनऊ।
49. सचलदल अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियॉ अतिरिक्त।

(अम्बेश श्रीवास्तव)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(सचलदल)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।